डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

Date: 24.02.2014

No.HQ/PIO/RTI/3/14

Shri Ajeet Singh,
S/o Shri Devi Prasad Kushwaha,
10/2, Juhi Safed Colony,
Kanpur-208014.

Sub: Information under RTI Act- 2005
Ref: Your application dt.30.12.2013, received on 02.01.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त मदवार सूचना निम्नलिखित है:–

मद–1 :–

आपका पत्र दिनांक 27.09.13 का उत्तर डी0एफ0सी0सी0आई0एल पत्र दिनांक 27.12.13 के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से महाप्रबन्धक (सेमू) के कार्यालय को भेजा जा चुका हैं।

मद–2 :–

आप द्वारा मा0 आयुक्त/आर्बीट्रेटर कानपुर के समक्ष आप ने अपनी अर्जित भूमि गाटा सं0 236 के प्रतिकर के सम्बन्ध में एक वाद सं009/12–प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद मे मा0 आयुक्त/आर्बीट्रेटर कानपुर मण्डल कानपुर ने आदेश दिनांक 04.09.13 पारित किया हैं। जिसके अनुपालन हेतु डी0एफ0सी0सी0कार्यालय कानपुर में आपका एक पत्र दिनांक 11.12.13 प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर आपको डी0एफ0सी0सी0 के पत्र सं0 CNB/EN/LA(KD)122(A) दिनांक 18.12.13 द्वारा दिया जा चुका हैं।

मद–3 :–

सक्षम प्राधिकारी को सम्बोधित आपका पत्र दिनांक 27.11.13 डी0एफ0सी0सी0 कार्यालय कानपुर में प्राप्त हुआ हैं। जिसके परीक्षण अलग से किया जा रहा हैं। परीक्षणों उपरान्त यथावश्यक कार्यवाही की जाएगी।

मद–4 :–

ग्राम अम्बियापुर तह0–डेरापुर, जिला–कानपुर देहात की डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (रेल मंत्रालय) की विशेष मालभाड़ा परियोजना हेतु रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 के अर्न्तगत नियमानुसार किया गया हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समस्त कार्यवाही करते हुए अभिनिर्णय दिनांक 05.09.11 घोषित किया जा चुका है, यदि उक्त अभिनिर्णय में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो कोई भी प्रभावित भू–स्वामी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मा0 आयुक्त/आर्बीट्रेटर कानपुर के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर प्रतिकर में संशोधन कराने के लिए स्वत्रतं हैं।

अभिनिर्णय की घोषणा तत्समय आवश्यक जानकारी विभिन्न कार्यालय से प्राप्त करके, सर्किल रेट व तीन साल के रजिस्ट्री रेट के आधार पर की जाती हैं। अभिनिर्णय दिनांक 05.09.11, जिस जानकारी अथवा

DESPATCH

अभिलेखों के आधार पर किया गया था वह तत्समय उप निबन्धक कार्यालय से प्रमाणित हैं। अभिनिर्णय घोषित होने के उपरान्त यदि उस प्राप्त प्रमाणित जानकारी में कोई परिवर्तन होता है तथा जिसकी कोई सूचना प्रमाणित जानकारी देने वाले कार्यालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी को नही दी जाती है तो प्रकिया को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता हैं। इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की विधिक प्रकिया का उलंघ्घन नहीं किया गया हैं।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की जनहित की राष्ट्रीय परियोजना हैं। आप द्वारा जन सूचना अधिकार, एंव आपत्तियों के माध्यम से प्रेषित लगभग 20 से अधिक पत्रों का उत्तर डी0एफ0सी0सी0 के कार्यालय से दिया जा चुका हैं। आपको उक्त गाटा सं0 236 से सम्बन्धित विवरण एंव मा0 आर्बीट्रेटर के वाद के आदेशानुसार प्रतिकर की धनराशि का ब्यौरा भी दिया जा चुका हैं। आपने अभी तक मुआवजे से सम्बन्धित प्रपत्र डी0एफ0सी0सी0 के कानपुर कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये हैं। आप सम्बन्धित प्रपत्र डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के कार्यालय 117/एच–2/180 पाण्डु नगर कानपुर, में जमा कराने के उपरांत प्रतिकर की धनराशि कार्यालय से यथाशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप फिर भी संतुष्ट नहीं है तो पुनः पुर्नविचार हेतु मा0 आयुक्त/आर्बीट्रेटर के समक्ष, कानपुर मण्डल कानपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है ।

मद्–5 एंव 5ए :–

डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 द्वारा भूमि का अर्जन रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के अर्न्तगत किया जाता हैं तथा अन्य सुविधाए नियमानुसार मौलिक पात्रता के आधार पर दी जाती हैं।इस प्रकार अन्य भू–अधिग्रहण एंव पुर्नग्रहण सम्बन्धी आदेश/निर्देश परियोजना द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन जो निर्देश डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 को अनुपालन हेतु जारी किये गये हैं उनका अनुपालन नियमानुसार अवश्य किया जायेगा। आप द्वारा वर्णित पत्र सं0 HQ/PIO/RTI/231/13 दिनाँक 22.11.14 के पत्र में वर्णित किसानों के प्रतिकर का विवरण आप डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के कानपुर कार्यालय 117/एच–2/180 पाण्डुनगर कानपुर में आकर देख सकते हैं। बिना प्रतिकर दिये डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 द्वारा कोई मकान आदि नहीं गिराये जा रहें हैं।

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to:
1. CPM/Kanpur
2. AGM/LA

DESPATCH